



न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारी श्री सुदर्शन सिंह तोमर (आर.ए.एस.)

इस्तगासा संख्या गुण्डा एक्ट 28/2015

इस्तगासा संख्या गुण्डा एक्ट 40/2017

बउनवान

सरकार जयें थानाधिकारी पुलिस थाना सीसवाली जिला बारां जयें जिला पुलिस अधीक्षक, बारां
(सायल)

बनाम

श्री राजेन्द्र उर्फ कन्हैया उम्र 40 वर्ष पुत्र हरिशचन्द्र जाति तेली निवासी सीसवाली जिला बारां
(गैरसायल)

इस्तगासा अन्तर्गत राज. गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 धारा-3

उपस्थिति :- 1- ए.पी.पी. (सायल)

2- श्री महेश प्रकाश गौतम अभिभाषक (गैरसायल)

निर्णय दिनांक 31.12.2018

वाक्यात मामला इस्तगासा इस प्रकार है कि गैरसायल श्री राजेन्द्र उर्फ कन्हैया पुत्र हरिशचन्द्र जाति तेली निवासी सीसवाली जिला बारां के विरुद्ध जिला पुलिस अधीक्षक बारां द्वारा राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा-3 के अन्तर्गत प्रेषित किया गया है।

संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि गैरसायल के खिलाफ थानाधिकारी पुलिस थाना सीसवाली जिला बारां ने जिला पुलिस अधीक्षक महो. बारां को रिपोर्ट की है कि पुलिस थाना सीसवाली क्षेत्र के अन्तर्गत गैरसायल आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है, इसके विरुद्ध पुलिस थाना सीसवाली में वर्ष 2012 से 2017 के मध्य कुल 7 प्रकरण धारा 13 RPGO के दर्ज हुये हैं। उक्त प्रकरणों में न्यायालय द्वारा गैरसायल को दोष सिद्ध ठहराया जाकर, सजायाब किया चुका है। गैरसायल की अपराधिक गतिविधिया फिर भी जारी है। इसका आम जनता में भय एवं आतंक व्याप्त है। इसके विरुद्ध लोग रिपोर्ट करने में कतराते हैं एवं साक्ष्य देने से भी डरते हैं। इसकी आपराधिक गतिविधिया निरन्तर जारी है। इसकी आम शौहरत ठीक नहीं है। अपराधी का स्वतन्त्र रहना लोकशांती एवं जनहित में हितकर प्रतीत नहीं है। इस व्यक्ति के विरुद्ध राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 के तहत विधिक कार्यवाही कर इस जिले की सीमाक्षेत्र से निष्कासित किया जावे।

गैरसायल के विरुद्ध दर्ज आपराधिक रिकार्ड निम्न प्रकार है :-

क्र. सं.	प्रकरण संख्या	जुर्म धारा	सी.एस. नं० दिनांक	निर्णय दिनांक
1.	37/2012	13 RPGO	34/19.3.12	सजा 27.3.12 जुर्माना 100/-रु.
2.	27/2013	13 RPGO	18/26.2.13	सजा 27.2.13 जुर्माना 100/-रु.
3.	63/2013	13 RPGO	49/17.5.13	सजा 9.12.14 जुर्माना 100/-रु.
4.	121/2014	13 RPGO	91/29.7.14	सजा 9.12.14 जुर्माना 100/-रु.
5.	31/2015	13 RPGO	21/28.2.15	सजा 17.3.15 जुर्माना 100/-रु.
6.	95/2015	13 RPGO	69/16.6.15	सजा 27.2.13 जुर्माना 50/-रु.
7.	9/2017	13 RPGO	7/17 दि. 23.1.17	सजा 30.1.17 जुर्माना 200/-रु.

इस प्रकार गैरसायल द्वारा आपराधिक कार्य किये जिससे सार्वजनिक शांतिभंग होने से आम जनता पर भय का वातावरण उत्पन्न होता है। गैरसायल को उपरोक्त 7 प्रकरणों में न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध भी ठहराया जाकर सजायाब किया जा चुका है। यह गुण्डा की परिभाषा में आता है। अतः इसके विरुद्ध अन्तर्गत राज. गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 धारा-3 के तहत कार्यवाही की जावे।

इस्तगासा विरुद्ध गैरसायल के पेश कर, उक्त आपराधिक कृत्य में मशगूल होने से गैरसायल को गुण्डा घोषित किया जाकर, उसे राज. गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा-3 के अन्तर्गत जिले से निष्कासित करने के आदेश चाहे गये।

इसके उपरांत इस्तगासा दिनांक 1.7.2015 को दर्ज रजिस्टर किया गया एवं इस इस्तगासा ओर गैरसायल के विरुद्ध प्राप्त होने पर दि. 26.10.2017 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर दोनो इस्तगासो को संलग्न किया गया तथा पुलिस द्वारा प्रस्तुत इस्तगासे एवं साक्ष्य के सारगर्भित बिन्दुओ को दर्शाते हुए गैरसायल को आहूत किया गया तथा गैरसायल की तलबी की गई। गैरसायल द्वारा जर्गे अभिभाषक उपस्थिति दी गई। गैरसायल के अभिभाषक द्वारा जवाब प्रस्तुत कर, अन्तिम बहस सुनी जाने हेतु निवेदन किये जाने पर प्रकरण में उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

दौराने बहस ए.पी.पी. प्रथम अभियोजन पक्ष सरकार का मुख्य कथन है कि चूंकि गैरसायल के विरुद्ध पुलिस थाना सीसवाली जिला बारों में वर्ष 2012 से 2017 के मध्य कुल 7 प्रकरण अन्तर्गत धारा 13 आरपीजीओ के दर्ज हुये हैं। उक्त 7 प्रकरणों में न्यायालय द्वारा गैरसायल को दोष सिद्ध ठहराया जाकर, सजायाब किया चुका है। इस सजायाबी आपराधिक रिकार्ड के आधार पर यह गुण्डा की परिभाषा में आता है। इस आपराधिक सजायाबी रिकार्ड के आधार पर गैरसायल के विरुद्ध राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 की धारा-3 के अन्तर्गत अपराध प्रमाणित है। उक्त केसों की पुष्टि सरकार पक्ष की ओर से प्रस्तुत अभिलेखों से होती है। यह व्यक्ति आपराधिक गतिविधियों में लिप्त है।

इसके विपरीत गैरसायल के अभिभाषक द्वारा कहा गया कि सरकार बनाम राजेन्द्र उर्फ कन्हैयालाल बउनवान का नोटिस क्रमांक/रीडर/2018/374 दि.16.5.2018 उत्तरदाता को न्यायालय से प्राप्त हुआ है। इन्हीं तथ्यों के आधार पर न्यायालय में पत्रावली संख्या 28/2015 पूर्व में विचाराधीन है। यह कि समान तथ्यों पर दो कार्यवाहियाँ पोषणीय नहीं हैं। गैरसायल के विरुद्ध पुलिस थाना सीसवाली जिला बारों में 7 प्रकरण दर्ज हुये हैं। उक्त सभी प्रकरण अन्तर्गत धारा 13 आरपीजीओ से संबंधित हैं। जिनमें शांतीभंग होने का कोई अन्देशा नहीं है। गैरसायल ने किसी प्रकार का अपराध नहीं किया है। उसके विरुद्ध गलत तरीके से टारगेट पूरे करने के लिए उक्त कार्यवाही पुलिस द्वारा की गयी है। गैरसायल के विरुद्ध इसके अलावा कोई आपराधिक प्रकरण जैरकार नहीं है। गैरसायल निहायत शरीफ व्यक्ति है। गैरसायल मजदूरी कर अपना व अपने परिवार का पालन पोषण करता है। गैरसायल के विरुद्ध गुण्डा एक्ट की खोली गई कार्यवाही ड्रॉप किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

हमने ए.पी.पी. एवं गैरसायल अभिभाषक की बहस सुनी तथा इस्तगासे में प्रस्तुत अभिलेखों का अवलोकन किया जाकर, मनन किया गया। गैरसायल के विरुद्ध पुलिस थाना सीसवाली जिला बारों में वर्ष 2012 से 2017 के मध्य कुल 7 प्रकरण अन्तर्गत धारा 13 आर.पी.जी.ओ. के दर्ज हुये हैं। उक्त प्रकरण दुआसट्टा, तासपत्ती से संबंधित हैं। उक्त 7 प्रकरणों में न्यायालय द्वारा गैरसायल को दोष सिद्ध ठहराया जाकर, सजायाब किया जा चुका है। गैरसायल द्वारा उक्त समस्त प्रकरणों में जुर्म स्वीकार किये गये हैं तथा माननीय न्यायालय द्वारा गैरसायल को सजायाब कर प्रकरणों का निस्तारण किया गया है।

अतः उक्त समस्त तथ्यों अनुसार यह साबित होता है कि गैरसायल श्री राजेन्द्र उर्फ कन्हैया पुत्र हरिशचन्द्र जाति तेली निवासी सीसवाली जिला बारों द्वारा उक्त अपराध किए गए हैं। जिसके आधार पर गैरसायल राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम की धारा 2 (आ) की परिभाषा में आना पूर्णतया सिद्ध है, क्योंकि धारा 2 (आ) (5) के प्रावधान के अनुसार गैरसायल को अन्तर्गत धारा 13 आरपीजीओ के 7 प्रकरणों में दोषी ठहराया हुआ है।

अतः गैरसायल श्री राजेन्द्र उर्फ कन्हैया पुत्र हरिशचन्द्र जाति तेली निवासी सीसवाली जिला बारों को सजायाबी रिकार्ड के आधार पर राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम की धारा 2 (आ) के तहत गुण्डा घोषित करता हूँ तथा धारा 3 (3) के प्रावधानों के अन्तर्गत बारों जिले के पुलिस थाना क्षेत्र सीसवाली से 15 दिन के लिए निष्कासित का आदेश देता हूँ।

गैरसायल श्री राजेन्द्र उर्फ कन्हैया पुत्र हरिशचन्द्र जाति तेली निवासी सीसवाली जिला बारों को राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 के तहत पुलिस थाना क्षेत्र सीसवाली से 15 दिन के लिए निष्कासित किया जाता है। गैरसायल अपनी उपस्थित प्रत्येक दिवस थानाधिकारी पुलिस थाना मोंगरोल जिला बारों को देगा। इस अवधि में अपराधी ऐसा कोई आचरण नहीं करेगा जो व्यक्तियों के प्रतिकूल एवं सामान्य व्यवहार संहिता के विरुद्ध हो अर्थात् इस अवधि में पूर्ण सचरित्र रहेगा। किसी आपराधिक गतिविधि में भाग नहीं लेगा। गैरसायल न्यायालय के समक्ष 10,000/- रूपये का स्वयं मुचलका इस अवधि में नेचलन रहने के संबंध में पेश करेगा।

गैरसायल के विरुद्ध यह आदेश दिनांक 25.1.2019 से प्रभावी होगा।

नियमानुसार तहरीरे जिला पुलिस अधीक्षक, बारों एवं थानाधिकारी पुलिस थाना मोंगरोल जिला बारों को दी जावे। थानाधिकारी पुलिस थाना सीसवाली जिला बारों को तहरीर दी जावे, जिसमें यह लिखा जावे कि गैरसायल को उक्त आदेश की पालना में जिले के पुलिस थाना क्षेत्र सीसवाली से बाहर निष्कासित कर, थानाधिकारी पुलिस थाना मोंगरोल जिला बारों के सुपुर्द कर, पालना रिपोर्ट इस न्यायालय में पेश करे।

निर्णय आज दिनांक 31.12.2018 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली बाद तामील तकमील फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(सुदर्शन सिंह तोमर)
अति० जिला मजिस्ट्रेट, बारों